

न्यायालय तहसीलदार कठुमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का 3.क्रि. वनाम मानसिंह

प्रकरण अन्तगत धारा 91 पलवान प्रसद

प्रकरण संख्या :- 71/2018/RA

निर्णय दिनांक :- 31-12-18

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि राम ..... की आ.ख.न. 1.6 कुल रकमा 0.19 किस्म जमीन गौमुआशान से 0-01 रकमे धर की मानसिंह बदनामिह पि.गोशी पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर पू.अ.निरी. करवा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का 3.क्रि. द्वारा दिनांक ..... को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय लाईव भू.अ.निरी. द्वारा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी मानसिंह बदनामिह जाति जाट निवासी रथेडी तर्फ से भू.राजसय अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी ..... उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है। उक्त रकवता आ.ख.न. 1.6 रकमा 0.19 में से 0.01 रकमे किस्म गौमुआशान जो नियम के योग्य नहीं है लिहाजा नॉरसायम को अतिक्रमित रकमे से वेदखल किया जाने के आदेश दिने जाते हैं एवं दण्ड स्वरुप जमान 6 Paice का 50 गुणा 312 रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं वेदखली हेतु हल्का पटवारी 3.क्रि. भू.अ.निरी. द्वारा को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दपतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार  
कठुमर (अलवर) राज.

अतिरिक्त :- प. 8

दि. 31.12.18 को प्रसद 37 मय 3  
दि. 2018.12.19 को प्रसदी 3/...

*(Signature)*

कठुमर (अलवर) राज.